<u>न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर</u>

<u>अपील संख्याः– 211/17 (RCMS No.2017/00226) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)</u>

सोन्या पुत्र भोडया जाति मीना निवासी ग्राम वन्धा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

...........अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. रामपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र विशन्या जाति कुम्हार निवासी वन्धा हाल निवासी हनीवगंज भोपाल मध्य प्रदेश
2. चिरंजी लाल | पुत्रान रामपाल उर्फ रामगोपाल जाति कुम्हार निवासी वंधा तहसील व
3. छोटया | जिला सवाई माधोपुर
4. तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर

.... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 30.07.2015

उपस्थितिः–

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट
2. श्री धर्मेन्द प्रजापति वकील रैस्पो0 सं0 2 व 3

<u>नि र्ण य</u> **<u>दिनांकः– 26.10.2018</u>**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 30.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण/रैस्पो0 के विरूद्ध इस आशय का पेश किया था कि विवादित आराजी ख0 नं0 4/146 रकवा 2 बीघा 8 विस्वा ख0 नं0 4/1 रकवा 4 बीघा 1 विस्वा कुल किता 2 रकवा 6 बीघा 9 विस्वा वॉके ग्राम घाटा झरन्या तहसील सवाई माधोपुर जिसके हाल ख0 नं0 17 रकवा 0.80 है0 व 25 रकवा 0.82 है0 में बने है, का प्रार्थी खातेदार है। नक्शे में उक्त ख0 नं0 कब्जे

व मौके के अनुसार नही हैं। इन खसरा नम्बरान को पूर्व स्थान से खिसका कर आगे अन्य भूमियों पर दर्शा दिये हैं। इन ख0 नं0 को अप्रार्थी सं0 1 की आराजी ख0 नं0 1/1/6 जिसके हाल ख0 नं0 4, 5 व 6 कुल रकवा 1.26 है0 ग्राम बंधा में कायम कर प्रार्थी की कब्जे की भूमि पर नक्शा ट्रेस में गलत दर्शा दिया है। अतः मौके की वास्तविक स्थिति व पूर्व नक्शे के अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में दुरूस्त कर तरमीम की जावे। अप्रार्थी सं0 2 व 3 ने जबाब पेश किया तथा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया तथा अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन कर यह माना कि ग्राम झरन्या व बंधा की सीमाऐं आपस में मिली हुई नही हैं, बल्कि सीमाओं में अंतर है। प्रार्थी की आराजी ग्राम झरन्या में स्थित है जबकि अप्रार्थीगण की आराजी ग्राम बंधा में स्थित है। सैटिलमेन्ट ने प्रार्थी व अप्रार्थी के कब्जे व मौके के अनुसार ही हाल ख0 नं0 बनाये है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है। नक्शा साबिक व हाल का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम बंधा व ग्राम घाटा झरन्या की सीमाऐं मिलती हुई है। अपीलान्ट की खातेदारी के ख0 नं0 व रैस्पो0 की खातेदारी के ख0 नं0 पास पास स्थित है। तहसीलदार व पटवारी हल्का की रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि होती है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम घाटा झरन्या व बंधा की सीमा आपस में मिली हुई नही बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 15.06.15 व पटवारी हल्का बंधा की रिपोर्ट दिनांक 07.06.15 का अवलोकन नही किया। रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट के साबिक ख0 नं0 4/146 रकवा 2 बीघा 8 विस्वा व 4/1 रकवा 4 बीघा 1 विस्वा कुल किता 2 रकवा 6 बीघा 9 विस्वा जो ग्राम बंधा व ग्राम घाटा झरन्या की सीमा पर स्थित है जिससे नवीन ख0 नं0 ग्राम घाटा झरन्या में ख0 नं0 17 रकवा 0.88 व 25 रकवा 0.82 है0 बनाये है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बंधा व घाटा झरन्या की नक्शा शीटों में पुरानी व नई का मिलान करने पर काफी अन्तर है जिससे मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया है। अपीलान्ट का रकवा नक्शे से मिलान करने पर कम बैठता हैं जबकि मौके पर अपीलान्ट मुताविक जमाबन्दी पूरे रकवे पर काबिज है। तहसीलदार व पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में नक्शा दुरूस्ती किया जाना उचित माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नही किया किया। अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 सं0 1 द्वारा दिये गये जबाब का भी कतई अवलोकन नही किया है जिसने अपने जबाब में अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि की है व नक्शा तरमीम कराने के लिये सहमति प्रदान की है। सैटिलमेन्ट द्वारा साबिक नक्शे के अनुसार हाल नक्शा निर्मित नहीं करने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। जिसके कारण अपीलान्ट का रकवा नक्शे के अनुसार कम हो गया है व रैस्पो0 का नक्शे के अनुसार बढ़ गया है। मौके पर दोनों पक्ष मुताविक रिकार्ड काबिज है। नक्शे में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 सं0 2 व 3 ने लिखित बहस में अंकित किया है कि रैस्पो0 को विवादित आराजी ख0 नं0 1/1/6 वॉके ग्राम बंधा तहसील व जिला सवाई माधोपुर का आवंटन रैस्पो0 के पिता रामपाल पुत्र किशना को हुआ था। मौके पर कब्जा दिया गया था। रामपाल रेलवे में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नौकरी में लग गया और हवीवगंज भोपाल में रहने लग गया। करीव 35–36 साल तक उसका कोई पता नही रहा जिस पर राजस्व अभियान शिविर में विधिवत जॉच कर रामपाल को मृतक मानकर उक्त आराजी रामपाल के दोनों पुत्र चिरंजी व छोट्या के नाम खातेदारी दर्ज की गई। उक्त आराजी को अपीलान्ट छीनना चाहते है। रैस्पो0 की आराजी ख0 नं0 हाल 4, 5 व 6 का तहसीलदार ने मय टीम के सीमाज्ञान भी दिनांक 20.11.2012 को करा दिया गया है। अपीलान्ट ने उक्त नामा0 के विरूद्ध एक प्रकरण 2/13 उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के न्यायालय में असत्य तथ्यों के आधार पर दायर किया था, जो खारिज हो गया तथा विरासत का नामा0 सही माना। अपीलान्ट का विवादित आराजी से कोई लेना देना नही है। तत्समय चूॅकि चिरंजी की मॉ को ज्ञात हुआ कि उसका पति जिन्दा है और रेलवे में भोपाल में तैनात है तो धारा 125 जा0 फौ0 के तहत भरण पोषण की कार्यवाही की गई जिसमें दोनों में राजीनामा हुआ लेकिन चूॅकि रामपाल रैस्पो0 की मॉ के केस से वैमनस्य रखे हुऐ था तथा भरण पोषण नही देना चाहता था। उसने दूसरी शादी मनभरदेवी से कर ली थी उसके साथ रहता रहा। इसका पूर्व पत्नि धापू देवी व पुत्रों चिरंजी छोट्या द्वारा विरोध किया। इस पर उसके द्वारा बदयान्ती पूर्वक एफआईआर सं0 174 दिनांक 04.08.2011 को धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी परिवाद किया गया। जिसमें उसके द्वारा कहा गया कि इन्होंने मेरे जीते जी नामा0 खुलवा लिया है लेकिन प्रकरण को सिविल नेचर का मानते हुऐ एफ.आर संख्या 82/11 लगा दी थी। चूॅकि अपीलान्ट आराजी को हड़पना चाहते थे इसलिये उनके द्वारा रामपाल को भड़का कर कार्यवाही कराई गई।

इसके बाद भी अपीलान्ट द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया तो चिरंजी व छोट्या द्वारा न्यायालय एसीएम में वाद पत्र मय स्टे प्रार्थना पत्र पेश किया जो अपीलान्ट के खिलाफ स्टे पारित किया गया। इसके बाद सोन्या व राजाराम द्वारा अलग अलग धारा 136 का दावा एसडीएम सवाई माधोपुर के समक्ष भिन्न भिन्न आदेश प्राप्त करने की वद्नियती से पेश किये। उनके दोनों दावों का निस्तारण दिनांक 30.07.2015 को चिरंजी छोट्या के पक्ष में हुआ। जिसके संबंध में उनके द्वारा दो अलग अलग प्रश्नगत अपील श्रीमान् के समक्ष पेश की गयी। जिनमें से राजाराम द्वारा पेश की गई अपील को दिनांक 27.09.2018 को जानबूझकर अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करा लिया गया है। जबकि इसी दिनांक को अपील हाजा में अपीलान्ट व उनके अभिभाषक न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उपस्थित रहे हैं। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना नही करने पर अवमानना कार्यवाही भी करनी पड़ी है। रैस्पो0 द्वारा फसल को बोया जाता है और अपीलान्ट फसल काट कर ले जाते है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त दस्तावेजात का अवलोकन कर ही निर्णय पारित किया है। रैस्पो0 गरीब कृषक है। जबकि अपीलान्ट पक्ष के गिरोह में 20–25 व्यक्ति है जो गिरोहबन्द व लठैत प्रभावशाली व्यक्ति है। जिनके द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुऐ तहसीलदार व पटवारी व अन्य को अपने प्रभाव में लिया हुआ है। ऐसी स्थिति में रैस्पो0 के दस्तावेजात रिकार्ड का अवलोकन करने से तहसीलदार व पटवारी हल्का से साज पूर्वक तैयार कराई गई रिपोर्ट सारहीन है तथा फिक्सल एन्ट्री है उनके आधार पर रैस्पो0 के विरूद्ध अवधारणा नही ली जा सकती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उन्होंने लिखित बहस में यह भी अंकित किया है कि ग्राम झरन्या व बंधा की सीमाऐं आपस में मिली हुई नही है बल्कि सीमाओं में अन्तर है। अपीलान्ट की आराजी ग्राम झरन्या में स्थित है जबकि रैस्पो0 की आराजी ग्राम बंधा में स्थित है। सैटिलमेन्ट द्वारा कब्जे व रिकार्ड के आधार पर ही नवीन नम्बर बनाये गये है तथा यह भी प्रमाणित माना है कि रैस्पो0 के साबिक ख0 नं0 के नवीन ख0 नं0 पूर्व खातेदारी के अनुसार ही बनाये है। उनका तर्क है कि रैस्पो0 सं0 1 रामपाल हस्ताक्षर करता है जबकि न्यायालय श्रीमान् में जो वकालतनामा उसकी ओर से पेश करना बताया गया है उसमें अॅगूठा निशानी हो रहे हैं। अॅगूठा निशानी कौनसे हाथ की है यह भी अंकित नही है। वास्तविकता यह है कि रैस्पो0 सं0 1 न्यायालय श्रीमान् में कभी भी उपस्थित नही हुआ। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि अपीलान्ट फर्जकारी करने में माहिर है तथा न्यायालय श्रीमान् को भी उनके द्वारा धोखा देने का प्रयास किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रैस्पो0 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी ख0 नं0 4/146 रकवा 2 बीघा 8 विस्वा ख0 नं0 4/1 रकवा 4 बीघा 1 विस्वा कुल किता 2 रकवा 6 बीघा 9 विस्वा वॉके ग्राम घाटा झरन्या तहसील सवाई माधोपुर जिसके हाल ख0 नं0 17 रकवा 0.80 है0 व 25 रकवा 0.82 है0 में बने है, का अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है। हाल नक्शे में उक्त ख0 नं0 कब्जे व मौके के अनुसार नही हैं। इन खसरा नम्बरान को रैस्पो0 सं0 1 की आराजी ख0 नं0 1/1/6 जिसके हाल ख0 नं0 4, 5 व 6 कुल रकवा 1.26 है0 ग्राम बंधा के नक्शा ट्रेस में गलत दिखया गया है। अतः मौके की वास्तविक स्थिति व पूर्व नक्शे के अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में दुरूस्त की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर यह माना कि ग्राम झरन्या व बंधा की सीमाऐं आपस में मिली हुई नही हैं, बल्कि सीमाओं में अंतर है। प्रार्थी की आराजी ग्राम झरन्या में स्थित है जबकि अप्रार्थीगण की आराजी ग्राम बंधा में स्थित है। सैटिलमेन्ट ने प्रार्थी व अप्रार्थी के कब्जे व मौके के अनुसार ही हाल ख0 नं0 बनाये है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि सोन्या व राजाराम ने दो अलग अलग प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये थे जो दिनांक 30.07. 2015 को खारिज हुऐ। जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में दो अपीलें पेश की गयी। जिनमें से राजाराम की अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गयी। पत्रावली में उपलब्ध नकल नक्शा ट्रेस ग्राम झरन्या व ग्राम बंधा का वगौर अवलोकन किया। अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि दोनों ग्रामों की सीमाऐं अलग अलग हैं। एक दूसरे से मिली हुई नही हैं दोनों की सीमाओं में भी अन्तर है। नक्शा ट्रेस ग्राम बन्धा व ग्राम झरन्या को एक दूसरे की समीऐं मिलान करने के लिये एक दूसरी सीट को आपस एक दूसरे के सीमाओं के पास रखा गया। जिससे स्पष्ट हुआ कि दोनों ग्रामों की सीमाऐं अलग अलग हैं। अपीलान्ट की आराजी ग्राम झरन्या में है तथा रैस्पो0 की आराजी ग्राम बंधा में स्थित है। सैटिलमेन्ट द्वारा कब्जे व रिकार्ड के आधार पर ही नवीन नम्बर बनाये गये है साबिक ख0 नं0 के नवीन ख0 नं0 पूर्व खातेदारी के अनुसार ही बनाये है। इसके अलावा रैस्पो0 की आराजी ख0 नं0 हाल 4, 5 व 6 का तहसीलदार ने मय टीम के सीमाज्ञान भी दिनांक 20.11.2012

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को करा दिया गया था। जहॉ तक अपीलान्ट का यह कथन कि उसका रकवा ग्राम बंधा में रैस्पो0 के ख0 नम्बरान में चला गया है, उचित नही है। यदि उसका रकवा बंधा में गया है तो ग्राम के कुल रकवे में भी अन्तर आ जाता। ग्रामों का जितना रकवा होता है वही रकवा हाल में दिया जाता है। एक दूसरी की समीओं में कम या अधिक रकवा नही दिया जा सकता है। ऐसा करने से एक दूसरे ग्रामों के कुल रकवे में घटा–बढ़ी हो जायेगी। ग्राम का कुल रकवा ही मिलान नही करेगा। इसलिये अपीलान्ट का कथन उचित नही है। हाल नक्शे के अनुसार दोनों ग्रामों की सीमाऐ अलग अलग ही हैं। जिनका कुल रकवा पूर्व रकवे के अनुसार ही दिया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा रिकार्ड का अवलोकन कर जो निर्णय पारित किया है, वह उचित है उसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमा नं0 30/2012 निर्णय दिनांक 30.07.2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official